दिल्ली विकास प्राधिकरण

[वित्त तथा व्यय]

एफ एवं ई परिपत्र संख्या 22/ 2013

उपाध्यक्ष, डीडीए दिनांक 25.02.1967 के प्राधिकरण के संकल्प संख्या 208 के तहत उनमें विहित शक्तियों का प्रयोग करके प्रत्येक परियोजना के लिए वास्तुशिल्पीय ड्राइंग तैयार करने (प्रारंभिक एवं विस्तृत) तथा प्रस्तुतीकरण (ड्राफ्टिंग तथा आहरण संबंधी सहायक सामग्री) आदि (एए तथा ईएस) के लिए वरिष्ठ जोनल वास्तुकारों को 1.00 लाख रुपए (एक लाख रुपए मात्र) तक के व्यय के लिए वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित करते हैं। यह कार्य खुले बाजार से सीमित कोटेशन आमंत्रित रूप देने के लिए एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा जिसमें सदस्य सचिव के रूप में संबद्ध वरिष्ठ वास्तुकार शामिल होंगे तथा इसे मुख्य वास्तुकार, डीडीए द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

इन शक्तियों का प्रयोग विवेकपूर्ण तथा तर्कसंगतपूर्ण किया जाएगा। प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते समय अधिकारी का उत्तरदायित्व और जवाबदेही होगी कि वह मितव्ययिता सुनिश्चित करे तथा यह भी सुनिश्चित करें कि वास्तुशिल्पीय ड्राइंगों तथा प्रस्तुतिकरण आदि तैयार करने पर व्यय करते समय सभी संबद्ध वित्तीय नियमों तथा विनियमों का अनुपालन किया गया है। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित व्यय की पूर्ति के लिए बजट प्रावधान मौजूद हों तथा जीएफआर एवं समय-समय पर जारी अन्य सरकारी आदेशों में किए गए प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

[मनीष कुमार]
मुख्य लेखा अधिकारी

सं. एफई.16(35) 2009/ डीडीए/ 525 **दिनांकः 5.9.13**

प्रतिलिपिः-

1. पत्र की सूचना के लिए विशेष कार्याधिकारी, उपाध्यक्ष, डीडीए;
2. निजी सचिव, एफएम/ ईएम/ पीसी, डीडीए;
3. मुख्य सतर्कता अधिकारी/ सी.एल.ए., डीडीए;
4. सभी आयुक्त/ आयुक्त-सह-सचिव, डीडीए;

5. सभी मुख्य अभियंता/ मुख्य वास्तुकार, डीडीए;
6. निदेशक (वित्त)/ आई.ए./ निदेशक (नजारत);
7. सभी क्षेत्रीय वरिष्ठ वास्तुकार;
8. उप मुख्य लेखा अधिकारी (मुख्यालय)-I, II तथा III
9. लेखा अधिकारी (पीई/ आकस्मिकता)/ पीएओ (ईडब्ल्यू);
10. गार्ड फाइल/ ई.ओ. पुस्तक।
11. केवल हिंदी अनुवाद हेतु हिंदी अधिकारी।

लेखा अधिकारी [एफ एंड ई]
दिल्ली विकास प्राधिकरण